

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी 2014—पौष 20, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2014

क्र. 916-वि.स.-विधान-2014.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2014 (क्रमांक 5 सन् 2014) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक ५ सन् २०१४

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) विधेयक, २०१४

३१ मार्च, २००९ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) अधिनियम, २०१४ है.

३१ मार्च २००९ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रु. २,६५,०७,३७,३६२ रुपयों का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये दो सौ पैंसठ करोड़ सात लाख सैंतीस हजार तीन सौ बासठ होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत प्रभारों को चुकाने के लिये ३१ मार्च, २००९ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिये दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जायेगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिये ३१ मार्च, २००९ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिए)

(१) अनुदान क्रमांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) आधिक्य		
		मतदत्त	भारित	योग
		रुपये	रुपये	रुपये
	लोक ऋण (वित्त विभाग)			
		पूँजीगत	२,६३,७९,९२,१७३	२,६३,७९,९२,१७३
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	९०,०३,६२२	९०,०३,६२२
२१.	आवास एवं पर्यावरण विभाग	पूँजीगत	१५,५४०	१५,५४०
२३.	जल संसाधन विभाग	पूँजीगत	१९,४७,९६९	१९,४७,९६९
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	४,१६,३१६	४,१६,३१६

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
७०.	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण		
	राजस्व	५५,७४२	५५,७४२
८८.	विधि एवं विधायी कार्य विभाग/ लोक निर्माण		
	पूंजीगत	१३,०६,०००	१३,०६,०००
	योग :		
	{ राजस्व	९०,५९,३६४	४,१६,३१६
	{ पूंजीगत	१३,०६,०००	२,६३,९९,५५,६८२
			९४,७५,६८०
			२,६४,१२,६१,६८२
	कुल योग :	१,०३,६५,३६४	२,६४,०३,७१,९९८
			२,६५,०७,३७,३६२

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित उसके अनुच्छेद २०४ (१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग के लिए उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो उक्त निधि पर भारत विनियोग से तथा ३१ मार्च, सन् २००१ को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के लिये राज्य सरकार के व्यय हेतु विधान सभा द्वारा किये गये अनुदानों से अधिक हुये व्यय की पूर्ति करने के लिये अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : ८ जनवरी, २०१४.

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.